



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219124  
CG-DL-E-24042020-219124

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]  
No. 156]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.059.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 है।
- (2) ये 29 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- 2, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में विनियम 40ख के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

### “40ग. समय-सीमा से संबंधित विशेष उपबंध

इन विनियमों में अंतर्विष्ट समय-सीमाओं के होते हुए भी, किन्तु संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप अधिरोपित लॉक-डाउन की अवधि की गणना किसी कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में ऐसे किसी क्रियाकलाप के लिए समय-सारणी के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी जिन्हे ऐसे लॉक-डाउन के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /12/2020-21]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खण्ड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.056, तारीख 20 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था।

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के शासी बोर्ड ने तारीख 27 मार्च, 2020 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 में संशोधन करने का विनिश्चय किया। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप 25 मार्च, 2020 से घोषित राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन के कारण विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जा सकी। अतः संशोधनकारी विनियमों को 29 मार्च, 2020 से प्रभावी करने की दृष्टि से इस टिप्पण के साथ बोर्ड की वैंबसाइट पर प्रकाशित किया गया था कि उन्हें भारत के राजपत्र में तब प्रकाशित किया जाएगा जैसे ही भारत सरकार का मुद्रणालय इसे प्रकाशनार्थ स्वीकार करता है। शासी बोर्ड का आशय संशोधित विनियमों को 29 मार्च, 2020 से प्रवृत्त करना था।

यह प्रमाणित किया जाता है कि चूंकि संशोधित विनियम हितधारकों को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में आदर्श समय-सारणी के संबंध में स्पष्टता प्रदान करते हैं इसलिए इन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2020

### Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2020

**No. IBBI/2020-21/GN/REG059.**-In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 29<sup>th</sup> March, 2020.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, after regulation 40B, the following regulation shall be inserted, namely: -

**“40C. Special provision relating to time-line.**

Notwithstanding the time-lines contained in these regulations, but subject to the provisions in the Code, the period of lockdown imposed by the Central Government in the wake of Covid-19 outbreak shall not be counted for the purposes of the time-line for any activity that could not be completed due to such lockdown, in relation to a corporate insolvency resolution process.”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./12/2020-21]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30<sup>th</sup> November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30<sup>th</sup> November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2020 *vide* Notification No. IBBI/2020-21/GN/REG056, dated the 20<sup>th</sup> April, 2020.

**Explanatory Memorandum**

The Governing Board of the Insolvency and Bankruptcy Board of India decided on 27<sup>th</sup> March, 2020 to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The notification amending the regulations could not be published in the Gazette of India, due to the nationwide lockdown declared by the Central Government w.e.f. 25<sup>th</sup> March, 2020, in the wake of the outbreak of Covid-19. The amendment regulations were, therefore, published on the website of the Board for it to be effective from the 29<sup>th</sup> March, 2020, with a note that the same shall be published in the Gazette of India as soon as the Government Press accepts the notification for publication. The intention of the Governing Board was to bring into force the amended regulations with effect from the 29<sup>th</sup> March, 2020.

It is certified that, since the amended regulations provide clarity to the stakeholders in regard to the model time-line in the corporate insolvency resolution process, no person is being adversely affected by giving retrospective effect.